

बुलडोज़र न्याय

चर्चा में क्यों

हाल ही में **भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India- SC)** ने "बुलडोज़र न्याय" की प्रथा की आलोचना की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **वधिकाे शासन** का उल्लंघन है।

मुख्य बडिः

- "बुलडोज़र न्याय" से तात्पर्य आपराधिक गतिविधियों या दंगों में संलग्नता के संदिग्ध व्यक्तियों की **संपत्तिकाे बुलडोज़र का उपयोग करके ध्वस्त करने** की प्रथा से है, जिसमें प्रायः **वधिकाे उचति प्रकरया** का पालन नहीं किया जाता है।
 - उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में इस प्रथा की सूचना मिली है।
 - अतिक्रमण या **अनधिकृत नरिमाण के लयि नगरपालिका कानूनों के तहत** प्रायः ध्वस्तीकरण को उचित ठहराया जाता है।
- यह प्रथा उच्चतम न्यायालय के नरिण्यों जैसे- **2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024** तथा **2025** **उचति प्रकरया आवश्यकताओं** को दरकिनार कर देती है।
 - उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस प्रथा की नरिधा की है तथा इस बात पर ज़ोर दिया है कि आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **वधिकाे शासन** और **वधिकाे उचति प्रकरया** का उल्लंघन है।
- उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी ध्वस्तीकरण पर उपयुक्त अखलि भारतीय दशा-नरिदेश तैयार करने के लयि संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रति कयि हैं।
- एक वशिलेषण से पता चला है कि **प्रकरयात्मक दशा-नरिदेशों को प्रासंगकि कानून और नयिमाें** में शामिल कयि जाना चाहयि परत्येक चरण पर अनेक जाँच-पड़ताल बडिुओं के साथ चरणबद्ध तरीके से संरचित कयि जाना चाहयि, ताकि यह सुनिश्चित कयि जा सके कि कोई भी प्रतिकूल या अपरविरतनीय कार्यवाही करने से पहले **सभी आवश्यक कदम** उठाए जाएँ।
 - **वधिवंस-पूर्व चरणः**
 - **सबूत का भारः** वधिवंस और वसिथापन को उचित ठहराने के लयि सबूत का भार प्राधिकारयिों पर डालना, जिससे मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
 - **नोटसि और प्रचारः** भूमि अभलिखों और पुनरवास योजनाओं के बारे में जानकारी सहति एक तरकपूर्ण नोटसि प्रदान करना तथा प्रभावति व्यक्तयिों को प्रतिकरया देने के लयि पर्याप्त समय देना।
 - **स्वतंत्र समीक्षाः** सभी नयिोजति ध्वस्तीकरणों, वशिलेषकर आवासीय कषेत्रों में, की समीक्षा न्यायकि समुदाय और नागरकि समाज के सदस्यों वाली एक नषिपक्ष समतिद्वारा की जानी चाहयि।
 - **सहभागति और योजनाः** प्रभावति पक्षों से वैकल्पकि आवास और मुआवज़े के लयि बातचीत करना तथा साथ ही कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना। नोटसि एवं वधिवंस के बीच कम-से-कम एक महीने का समय देना चाहयि।
- **वधिवंस के दौरानः**
 - **बल का न्यूनतम प्रयोगः** शारीरिक बल और बुलडोज़र जैसी भारी मशीनरी के प्रयोग से बचना।
 - **आधिकारकि उपस्थतिः** इस प्रकरया की नगरिानी के लयि वधिवंस में शामिल न होने वाले सरकारी अधिकारयिों की उपस्थति सुनिश्चित करना।
 - **नरिधारति समयः** अचानक कार्यवाही से बचने के लयि ध्वस्तीकरण का समय पहले से तय कयि जाना चाहयि।
- **वधिवंस के बाद (पुनरवास)ः**
 - **पुनरवासः** यह सुनिश्चित करने के लयि कि कोई भी बेघर न रहे, पर्याप्त अस्थायी या स्थायी आवास समाधान प्रदान करना।
 - **शकियायत नवारणः** प्रभावति व्यक्तयिों के लयि ध्वस्तीकरण नरिण्यों को चुनौती देने हेतु त्वरति शकियायत नवारण तंत्र स्थापति करना।
 - **उपायः** मुआवज़ा, कषतपूरति तथा मूल घरों में संभावति वापसी जैसे उपाय सुनिश्चित करना।

